ज्योतिराव फुले ने वंचितों के लिए उठाई आवाज

ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की

नई दिल्ली, 11 अप्रैल. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

महात्मा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, लोक सभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. महात्मा ज्योतिराव फुले 19वीं सदी के भारत के प्रमुख सामाजिक सुधारकों में से एक थे. उन्होंने अपना जीवन सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए समर्पित किया और गरीबों, किसानों तथा समाज के अन्य वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया. उन्होंने 1873 में 'सत्यशोधक समाज' की स्थापना की जिसका उद्देश्य शोषण को रोकना और भेदभावपूर्ण प्रथाओं से पीड़ितों को मुक्ति दिलाना था. वे उन शुरुआती विचारकों में भी थे जिन्होंने कृषि के महत्व, किसानों के कल्याण और कृषकों के लिए वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया. महात्मा फुले 1876 से 1882 तक पुणे नगर पालिका के सदस्य रहे और 1888 में गरीबों एवं वंचितों की मुक्ति में उनके योगदान के लिए उन्हें 'महात्मा' तथा 'भारत के बुकर टी. वॉशिंगटन' की उपाधियों से सम्मानित किया गया.संसद भवन परिसर में स्थापित महात्मा फुले की 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा, जिसका निर्माण राम वी. सुतार द्वारा किया गया था और जिसका अनावरण तीन दिसंबर 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था.

भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए मार्ग दिखाया

नई दिल्ली. महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी ने उन्हें नमन किया और उनके विचारों को याद किया. गांधी ने कहा कि महात्मा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन बहुजनों के हक और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हुए देश को समता और न्याय का मार्ग दिखाया. महात्मा फुले के आदर्श और विचार आज भी हमें सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं.वहीं वाड्रा ने भी महात्मा फुले को सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बताते हुए उन्हें नमन किया.उन्होंने कहा कि फुले जी ने महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक प्रयास किए और समाज को समानता व न्याय का रास्ता दिखाया. उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.

युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है : पुष्कर धामी

नवाचार की सोच ही विकास की दिशा निर्धारित करती है

देहरादून 11 अप्रैल. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को डीएवी पीजी कॉलेज, देहरादून में आयोजित छात्रसंघ समारोह में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्य शक्ति बताते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की.

उन्होंने कहा कि युवा केवल देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान भी हैं. उनकी ऊर्जा, संकल्प और नवाचार की सोच ही भारत के विकास की दिशा निर्धारित करती है. उन्होंने छात्र राजनीति को नेतृत्व विकास, संगठन क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों से जुड़कर युवाओं में राष्ट्र सेवा, चरित्र निर्माण और सामाजिक चेतना का विकास होता है.

उन्होंने कहा कि परिषद के कार्यकर्ता, शिक्षा संस्थानों से लेकर देश की सीमाओं तक राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. उन्होंने इस दौरान महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण करना भी है.

आर्टेमिस अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की परिक्रमा कर पृथ्वी पर पहुंचे : नासा

वाशिंगटन, 11 अप्रैल.नासा ने कहा कि आर्टेमिस II मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं.

आर्टेमिस II के चालक दल में नासा के अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन (कमांडर), विक्टर ग्लोवर (पायलट), क्रिस्टीना कोच (मिशन विशेषज्ञ) और सीएसए के अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन (मिशन विशेषज्ञ) शामिल थे और उन्होंने 10 दिनों के मिशन के बाद सैन डिएगो के तट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की.नासा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा-रीड,

विक्टर, क्रिस्टीना और जेरेमी का घर वापसी पर स्वागत है! आर्टेमिस II के अंतरिक्ष यात्री पूर्वी समयानुसार रात 8-07 बजे (भारतीय समयानुसार 11 अप्रैल को सुबह 5-37 बजे) लैंड किए, जिससे चंद्रमा के चारों ओर उनका ऐतिहासिक 10 दिवसीय मिशन समाप्त हो गया.

सुबह टहलने निकले वकील की हत्या

जौनपुर. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अधिवक्ता की हत्या की घटना की जौनपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में निंदा की है और प्रदेश सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा कानून (एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट) शीघ्र लागू करने की मांग की है। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि मिर्जापुर में शनिवार सुबह अधिवक्ता राजीव सिंह उर्फ रिंकू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि मृतक कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारूपुर इलाके के निवासी थे और पूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके थे.

मीरा भाईंदर में भीषण आग से 3 की मौत, 35 घर जले

ठाणे (महाराष्ट्र), 11 अप्रैल- महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भाईंदर इलाके में शुक्रवार रात को एक हृदयविदारक घटना हुई.

नवघर स्थित इंद्रलोक झुग्गी बस्ती में अचानक लगी भीषण आग ने 3 लोगों की जान ले ली और करीब 35 झोपड़ियों को पूरी तरह जला दिया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आग करीब रात 8-30 बजे लगी। झुग्गियां घास-फूस और प्लास्टिक के कपड़ों से बनी होने के कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया। आग की तीव्रता इतनी थी कि बस्ती के कई रसोई गैस सिलेंडरों में जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मीरा भाईंदर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रकाश बोराडे ने बताया कि दमकलकर्मी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। उन्होंने जान जोखिम में डालकर 24 सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें कुछ सिलेंडर भरे हुए थे, और कुछ खाली। अधिकारी ने बताया कि अगर ये सिलेंडर फट जाते, तो नुकसान और भी व्यापक होता। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आज का इतिहास

1606- इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने यूनियन फ्लैग को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया.

1621- सिख गुरु तेग बहादुर का जन्म.

1801- विलियम कैरी को फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में बांग्ला भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया.

1861- दक्षिण के राज्यों द्वारा फोर्ट सम्टर पर गोलाबारी के साथ अमेरिका में गृहयुद्ध की शुरुआत हुई.

1885- मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार राखलदास बनर्जी का जन्म हुआ.

दिल्ली में साइबर अरेस्ट और निवेश घोटाले में 3 गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11अप्रैल. दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि उन्होंने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके धोखाधड़ी से प्राप्त धन के फर्जी बैंक खातों के माध्यम से लेन-देन में शामिल एक अंतरराज्यीय साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) आदित्य गौतम ने कहा कि आरोपी एक सुनियोजित नेटवर्क का हिस्सा थे. जो कमीशन पर बैंक खाता प्राप्त करते थे और धोखाधड़ी से प्राप्त धन को निकालने के लिए कई स्तरों पर लेन-देन करते थे। उन्होंने कहा कि निरंतर तकनीकी निगरानी एवं वित्तीय लेन-देन का विश्लेषण करने के बाद पुलिस को कई राज्यों में आरोपियों की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद मिली. पहले मामले में 47 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी शामिल है, जिसमें आरोपी गौतम सिंह उर्फ गोलू और फरहान उर्फ फैजी को डिजिटल अरेस्ट मामले में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में, जालसाजों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण किया.

यूपी में बसों का किराया बढ़ा

01 रुपये से लेकर 6 रुपये तक का अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया

50 से अधिक रूटों पर चलने वाली बसों में किराए बढ़ोतरी

लखनऊ, 11 अप्रैल. उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा किराया देना होगा. राज्य परिवहन निगम ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो से संचालित बसों के किराए में वृद्धि कर दी है. जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी है। यह बढ़ोतरी खासतौर पर उन रूटों पर की गई है, यह बदलाव केंद्रीकृत स्वचालित प्रणाली के तहत किया गया है, जिसमें हर टोल प्लाजा के लिए किराए में स्वत: वृद्धि जुड़ जाती है। परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, 50 से अधिक रूटों पर चलने वाली बसों के किराए में प्रति यात्री 1 रुपये से लेकर 6 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी टोल प्लाजा शुल्क को ध्यान में रखते हुए की गई है. निगम की केंद्रीकृत स्वचालित प्रणाली के तहत, हर टोल प्लाजा पार करने पर किराए में स्वत: अतिरिक्त शुल्क जुड़ जाता है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा डिपो से कुल 305 बसें संचालित होती हैं, जिनमें से अधिकांश लंबी और मध्यम दूरी की बसें इस बदलाव से प्रभावित हुई हैं। इससे एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, कालागढ़, आगरा, हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, लखनऊ, मेरठ और सहारनपुर जैसे प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों पर सीधा असर पड़ा है।

हर बच्चे को मिले शिक्षा : केजरीवाल

'सामाजिक न्याय और शिक्षा को लेकर दिया संदेश

नई दिल्ली, 11 अप्रैल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा कर फुले के विचारों को आज के समय में भी प्रासंगिक बताया।केजरीवाल ने अपने संदेश में कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनके आदर्शों से प्रेरणा लें और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करें, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे। उनके अनुसार, शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत माध्यम है और यही फुले के विचारों का मूल आधार भी रहा है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जहाँ सामाजिक न्याय का बोलबाला हो और कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे.

उन्होंने कहा कि महात्मा फुले का जीवन समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम माना और वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर प्रयास किए।

क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग पर बल

होर्मुज संकट के बीच एस जयशंकर का संदेश

देशों को छोटी-छोटी सोच से ऊपर उठकर निभानी होगी

नई दिल्ली, 11 . विदेश मंत्री एस. जयशंकर चार दिवसीय दौरे के पहले चरण में मॉरीशस पहुंचे, जहां उन्होंने 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया.होर्मुज संकट के बीच साझा जिम्मेदारी पर जोर- होर्मुज जलडमरूमध्य और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जयशंकर ने कहा कि मौजूदा समय में देशों को छोटी-छोटी सोच से ऊपर उठकर साझा जिम्मेदारी निभानी होगी.उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने से ही एक स्वतंत्र, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सकता है.भारत 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की भूमिका में- जयशंकर ने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की भूमिका निभाता रहा है.चाहे श्रीलंका, मेडागास्कर या मोजाम्बिक में आपदा राहत हो या तेल रिसाव जैसी घटनाएं—भारत ने हर बार तेजी और भरोसे के साथ सहायता पहुंचाई है.ऑपरेशन सागरबंधु का दिया उदाहरण- उन्होंने हालिया उदाहरण के तौर पर श्रीलंका में आए तूफान के बाद चलाए गए 'ऑपरेशन सागरबंधु' का जिक्र किया, जिसके तहत भारत ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य और 450 मिलियन डॉलर का सहायता पैकेज प्रदान किया.समुद्री चुनौतियों पर बढ़ती चिंता- जयशंकर ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों तरह की चुनौतियां बढ़ रही हैं.

KAMAKSHI CORPORATION

Plot No. 47/04/2 (S), Dhakalgaon Road, Gram Dhasgaon, Dist. Khargone-451 111 (M.P.)

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **KAMAKSHI CORPORATION.** Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -

(1) N.P.K. (19:19:19) (FERTOKAM 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (FERTOKAM 13:40:13)
(3) N.P.K. (20:20:20) (FERTOKAM 20:20:20)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

E-mail: kamakshicorpration25@gmail.com, Mobile: 9926815602

हरिवंश ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली

नई दिल्ली. राज्यसभा के निवर्तमान उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने शुक्रवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री हरिवंश का राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल गुरुवार को ही समाप्त हुआ था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें आज ही उच्च सदन के लिए मनोनीत किया था. उन्हें उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रंजन गोगोई के सेवा निवृत होने से रिक्त हुई सीट पर मनोनीत किया गया है। यह श्री हरिवंश का राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल होगा। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने श्री हरिवंश को मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ दिलायी। उन्होंने हिन्दी भाषा में शपथ ली।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती अनीता पति स्व. श्री ब्रम्हस्वरूप मुंद्रा, श्री आकाश पिता स्व. श्री ब्रम्हस्वरूप मंद्रा, श्री अंकुश पिता स्व. श्री ब्रम्हस्वरूप मुंद्रा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की सम्पत्ति मु. मकान नं. 11 सिल्वर एन्क्लेव ब्लाकॅ नं. 11 सिल्वर एनक्लेव ब्लाक नं. 05 ओल्ड पलासिया गली नं. 2 इंदौर पर स्थित है। मूलतः सदर संपत्ति श्री ब्रम्हस्वरूप पिता श्री पुरूषोत्तम दास जी मुन्द्रा के द्वारा क्रय कर प्राप्त की गई थी। तत्पश्चात उनका स्वर्गवास होकर उक्त संपत्ति उपरोक्त स्वामियों को उनके वारिस नाते प्राप्त हुई है। यह कि सदर संपत्ति श्रीमती अनीता पति स्व. श्री ब्रम्हस्वरूप मुंद्रा एवं श्री आकाश पिता स्व. श्री ब्रम्हस्वरूप मुंद्रा के द्वारा सदर संपत्ति में से अपना हक श्री अंकुश पिता स्व. श्री ब्रम्हस्वरूप मुंद्रा के पक्ष में प्रतिफल सहित हक त्याग करना प्रस्तावित है। वर्तमान में सदर संपत्ति केनरा बैंक सियागंज शाखा इंदौर में बंधक रखी गई है। सदर संपत्ति को श्री अंकुश पिता श्री ब्रम्हस्वरूप मुंद्रा के द्वारा मेरी पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक के समक्षबंधक रखकर ऋण प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः सदर संपत्ति एवं वारिस बाबद किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्था, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विभाग आदि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या उजर हो तो जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 (सात) दिवस की अवधि में मय लेखी दस्तावेजो प्रमाण हमें सूचित करे अन्यथा बाद मियाद कोई भी आपत्ति मान्य योग्य नहीं होगी।

आर. सी. बडजात्या, हाईकोर्ट ऐडवोकेट
फ्लैट न 1 स्टेट बैंक अभिलाषा सोसायटी, 23/2 मनोरमागंज, इंदौर(म.प्र.)
मो. न. 9425052001

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L. -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CG-DL-E-03032026-270642

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1075] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026 / फाल्गुन 12, 1947
No.1075] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026 / PHALGUNA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

का.आ. 1127(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के जिले खरगोन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH347C के कि.मी. 0.00 से 136.350 कि.मी. तक खलघाट - कसरावद - खरगोन- बिस्टन से महाराष्ट्र बॉर्डर रोड, भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन / 4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीनपूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा। ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सब डिवीजनल मजिस्ट्रैट खरगोन, जिला खरगोन को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के जिले खरगोन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH347C के खलघाट-कसरावद-खरगोन-बिस्टन से महाराष्ट्र बॉर्डर रोड के अंतर्गत कि.मी. 43.6 से 54.3 कि.मी. तक (खरगोन बायपास अतिरिक्त), के निर्माण के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला : खरगोन
https://egazette.gov.in: प्रकाशन दिनांक
https://egazette.gov.in

[F. No. CE-RO BPL /30010/68/2023-24/3A]
ABHAY JAIN, Director

G11367/26

Chola Enter a better life

चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः "चोला क्रेस्ट", सी54 और 55, सुपर बी-4, थिरु वी का औद्योगिक एस्टेट, गिंडी, चेन्नई- 600032

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा) के तहत और सुरक्षा हित [प्रवर्तन] नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए धारा 13 [2] के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ताओं को, जिनके नाम नीचे कॉलम [बी] में दर्शाए गए हैं, कॉलम [सी] में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे कॉलम [डी] में दर्शाई गई बकाया राशि ब्याज सहित चुकाने के लिए कहा गया है। ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं द्वारा राशि का पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण, ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **10 अप्रेल 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है।

ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे कॉलम [E] में उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और ऐसा कोई भी लेन-देन मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि कॉलम [D] में उल्लिखित है और उस पर ब्याज भी लगेगा।

स. क्र.	उधारकर्ता का नाम और पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जा करने की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता क्रं. TL01IYNXDY0000063994 1. मेसर्स. सोनू ट्रेडर्स 2. श्री परमजीत सिंह भाटिया 3. श्रीमती गुरप्रीत और श्रीमती प्रीतपाल कौर	17.11.2025	रू. 85,59,971/- 17.11.2025 तक ब्याज सहित उस पर।	भूमि सर्वेक्षण सं. 324/1/3/2, रकबा 0.0222 हेक्टेयर/क्षेत्रफल 2388 वर्ग फुट, 324/1/3/1/2, रकबा 0.0140 हेक्टेयर/क्षेत्रफल 1512 वर्ग फुट, कुल रकबा 0.0362 हेक्टेयर/क्षेत्रफल 3900 वर्ग फुट, पीएच. सं.23, वार्ड सं. 07, नागेश्वर मार्ग, महेश्वर, तहसील, महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.) में स्थित संपत्ति का संपूर्ण भाग। भूमि सर्वेक्षण सं. 324/1/3/2, रकबा 0.0222 हेक्टेयर/2388 वर्ग फुट, 221.93 वर्ग मीटर। सीमाएँः पूर्वः सड़क और पाटीदार का भूखंड, पश्चिमः माली समाज धर्मशाला और अन्य मकान, उत्तरः सड़क, दक्षिणः स्वयं की भूमि। भूमि सर्वेक्षण सं. 324/1/3/2, रकबा 0.0140 हेक्टेयर / 1512 मेसे 1000 वर्ग फुट 92.93 वर्ग मीटर। सीमाएँ:- पूर्व में सड़क, पश्चिम में माली समाज धर्मशाला, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में अखिलेश और अरविंद का भूखंड। भूमि सर्वेक्षण सं. 324/1/3/2, रकबा 0.0140 हेक्टेयर / 1512 मेसे 512 वर्ग फुट 47.58 वर्ग मीटर। सीमाएँ:- पूर्व में संतोष पटेल की भूमि, पश्चिम में 19 फुट की सड़क, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में कमल सर्राफ की भूमि।	10.04.2026

दिनांकः 10.04.2026
स्थानः खरगोन (म.प्र.)

प्राधिकृत अधिकारी
चोलामंडलम निवेश और वित्त कंपनी लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर

विद्युत विभाग

E-mail: imcvidhyutvibhag@gmail.com

विज्ञप्ति क्र.: 04/26-27/
ई टेंडर C.E/E&M

निविदा सूचना

दिनांक: 11/04/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम.डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026-UAD-499564 11-04-2026	इन्दौर नगरीय सीमा के अंतर्गत विभिन्न शा. कार्यालयों, झोनल कार्यालयों एवं कक्षों में ग्रीष्म ऋतु हेतु कुलर क्रय करने संबंधी कार्य।	15 दिन ₹9,55,000/-	₹2,000/- ₹9,550/-	25.04.2026 5:30 PM
2	2026-UAD-499565 11-04-2026	इन्दौर नगरीय सीमा के अंतर्गत विभिन्न वॉटेज की एल.ई.डी. लाईटों के संधारण हेतु आवश्यक MCPCB, Driver एवं अन्य उपकरण क्रय करने संबंधी कार्य।	2 माह ₹1,56,69,100/-	₹12,500/- ₹78,500/-	11.05.2026 5:30 PM
3	2026-UAD-499577 11-04-2026	झोन क्र. 3 व 9 के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में उद्यानों में पूर्व से स्थापित लाईटों का संधारण करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹6,86,775/-	₹2,000/- ₹6,900/-	25.04.2026 5:30 PM
4	2026-UAD-499580 11-04-2026	झोन क्र. 19 वार्ड क्र. 41,50,53,76,38 के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में उद्यानों में पूर्व से स्थापित लाईटों का संधारण करने संबंधी कार्य।	1 माह ₹7,80,165/-	₹2,000/- ₹7,850/-	25.04.2026 5:30 PM

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

प्रतिबंधित पॉलिथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

नगर शिल्पज्ञ
नगर पालिक निगम, इन्दौर

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार (म.प.)

फोन - 07292-234702, Email-modgmdha@mp.gov.in

पत्र क्रमांक / 1146 / खनिज / 2026-27 धार दिनांक 07/04/2026

(म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1 - क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए)

द्वितीय सूचना

यह सूचित किया जाता है, कि आवेदक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड़ निवासी ग्राम टोकी तहसील मनावर जिला धार म. प्र. के द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईल आवेदन पत्र दिनांक 05/02/2026 को प्रस्तुत किया गया है। इस क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रथम सूचना क्रमांक 538 / खनिज / 2025-26 दिनांक 12/02/2026 प्रकाशित की गई थी। इस क्षेत्र पर पुनः दिनांक 27-04-2026 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेगे।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	पैकी रकबा हैक्टर में	भूमि का प्रकार शासकीय / निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
धार	मनावर	गोलपुरा	221/1/2/1	3.786	शासकीय भूमि	मुरम	
			कुल रकबा	3.786			

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेदको से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदको के आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो प्रथम आवेदन पत्र एंव प्राप्त सभी आवेदन पत्रो को म.प्र. गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व में प्रेषित अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रो का म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एंव द्वितीय प्रकाशित विज्ञिपि के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रो को विचार में नही लिया जाएगा।

'जिला खनि अधिकारी'
खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर जिला धार

G11339/26